



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 203) पटना, बुधवार 24 मार्च 2021

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 मार्च 2021

संचिका सं0 1/स्था0 (1) 02/2020/986—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र सं0 12 दिनांक—27.07.2020 के द्वारा विज्ञापन सं0-04/2017 के तहत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 06 अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 02 अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स वेतन स्तर-9 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने कॉलम-9 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/ स्थायी पता	रौल नं0	मेघा क्रमांक	पिता/पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सुश्री पूजा कुमारी पता-एल0आई0जी0 ब्लॉक-15, प्लैट नं0-508, था0-पत्रकार नगर, हनुमान नगर (कंकड़बाग), पटना, पिनकोड-800020, बिहार	401061	4	श्री विनोद कुमार सिंह	पटना	30.08.1993	01	सहायक अभियंता, मगध प्रक्षेत्र, गया
2.	श्री मृत्युंजय कुमार पता-ग्रा0+पो0-कठैया विशुनपुरा, था0-जगदीशपुर, जि0-पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, पिनकोड-845459, बिहार	402512	9	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद	पश्चिमी चम्पारण	09.06.1993	04	सहायक अभियंता, सारण प्रक्षेत्र, छपरा

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के आधार पर की जा रही है।
3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक/चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अपने नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय/कार्यालय/ संस्थान से किये जाने के पश्चात ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।
6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. योगदान के समय यदि कोई अभ्यर्थी किसी कार्यालय/संस्थान में कार्यरत है तो उस कार्यालय/संस्थान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान समर्पित करेंगे।
10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वसीम अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 203-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>